APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत....उपखण्ड अधिकारी....मुकाम....कोटा....

....मांगीलाल....बनाम....भवानी शंकर....

किस्म मुकदमा....43, 144....नं. ....121....सन्....2008....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/4/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 144 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त उनवान के प्रकरण में इस सम्मानीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2003 को निर्णय पारित कर आदेश दिया था कि ग्राम नोटाना की खसरा नं0 116 की पूर्ति खसरा नं0 169 की रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 117 की रकबा 0.17 है0 से की जावे एवं खसरा नं0 116 का रकबा 2.99 है0 दर्ज किया जावे एवं खसरा नं0 169 का रकबा 2.36 है0 तथा खसरा नं0 117 का रकबा 2.62 है0 रखा जावे। उक्त निर्णय की अपील प्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के यहां पर प्रस्तुत की गयी। अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 26.05.2004 को उक्त अपील में निर्णय पारित करते हुये इस न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः साक्ष्य का अवसर देते हुये इस सम्मानीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। इस न्यायालय के आदेश की पालना में तहसील द्वारा निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया है। उक्त निर्णय को श्रीमान अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा निरस्त कर दिया है इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते मे से इस सम्मानीय न्यायालय के निर्णय की पालना में कम की गयी आराजी को पुनः अपने खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जावे कि वह प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 169 की रकबा 2.46 है0 व खसरा नं0 117 की रकबा 2.79 है0 वाके ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा के खाते दर्ज करे एवं भवानीशंकर के खाते के खसरा नं0 116 की रकबा 2.62 है0 आराजी ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा कोटा को उसके खाते में दर्ज करे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 34/02 उनवान भवानीशंकर बनाम सरकार में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2003 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की अपील प्रार्थीगण मांगीलाल द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के यहां पर प्रस्तुत की गयी। अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 26.05.2004 को उक्त अपील में निर्णय पारित करते हुये इस न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः साक्ष्य का अवसर देते	उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुये इस सम्मानीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 26.05.2004 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जिसका प्रकरण संख्या 2005/2022 है। मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब की जा चुकी है। चूंकि न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 26.05.2004 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। अपील के जैरकार रहते हुये हस्तगत पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	